IJAER/Sep-Oct-2013/Volume-2/Issue-5 ISSN: 2278-9677

International Journal of Arts & Education Research

दुर्गम क्षेत्रों में महिलाओं के दैनिक जीवन की समस्याएं और उनके समाधान की संभावनाएं: गडचिरोली के आदिवासी इलाकों का अध्ययन

प्रा. अनिल लक्ष्मण बनपूरकर

(सहायक प्राध्यापक)

अनिकेत समाजकार्य महाविद्यालय वडसा

गोंडवाना विदयापीठ, गडचिरोली

सार

गडचिरोली की महिलाएँ अनेक सामाजिक-आर्थिक विकृतियों के चक्रव्यूह में फँसी हुई हैं। उनमें से अधिकांश के पास शिक्षा, सूचना, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा और पोषण के साधन उपलब्ध नहीं हैं। महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा, विशेष रूप से गडचिरोली के तटीय जिलों में, आर्थिक रूप से अपने परिवार के पुरुष सदस्यों पर निर्भर है। इन कारकों ने उन्हें कभी भी अपने घर के अंदर या बाहर निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने की अनुमति नहीं दी है। साथ ही आदिवासी क्षेत्रों में व्यवसायी, सरकारी अधिकारियों जैसे बाहरी लोगों के हस्तक्षेप ने शोषण और ऋणग्रस्तता को बढ़ा दिया है। इसलिए महिलाओं की पीड़ाएँ बढ़ गई हैं। आर्थिक साधनों के स्थायी स्रोत की कमी आदिवासी महिलाओं के एक बड़े हिस्से को अपरिचित क्षेत्र में काम करने के लिए मजबूर करती है, जिसे शोषणकारी क्षेत्र कहा जाता है। फिर से तटीय क्षेत्र में पुरुष प्रधान समाज ने अपने रूढ़िवादी और रूढ़िवादी विचारों के साथ महिलाओं को घरेलू कामों तक सीमित करके पिछड़ा रखा है। सदियों पुरानी सामाजिक-आर्थिक निर्भरता के अलावा, बार-बार आने वाली बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं ने उनकी आर्थिक स्थिति पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव डाला है। ये सभी महिलाओं को अपर्याप्त और कम आर्थिक स्थिति में बहुत दयनीय जीवन जीने के लिए मजबूर करते हैं। उनकी बिगड़ती सामाजिक-आर्थिक स्थिति उन्हें शोषण और उत्पीड़न का विरोध करने में असमर्थ बनाती है।

मुख्यशब्द: दुर्गम क्षेत्रों, दैनिक जीवन, गडचिरोली, महिलायें, आदिवासी, अध्ययन

परिचय

गडचिरोली में आदिवासी समाज की महिलाओं की स्थिति आजादी के 75 साल पूर्ण हो जाने के दौरान भी आज के वर्तमान समय में बहुत दयनीय स्थिति है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति और सामाजिक मान्यताओं के प्रति परिवर्तन की आवश्यकता है। लेकिन इस विशाल और अनगिनत विविधता वाले देश में इस परिवर्तन का अंश नगण्य है। संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत भारतीय आदिवासी महिलाओं को पुरुषों के समान ही अधिकार दिये हैं, अत्याचारों से दबी उनकी दयनीय जीवन स्थिति को रुपान्तरित करने और सामाजिक आर्थिक तथा विधिक पहचान बनाने के लिये कल्याणकारी मान्यताएँ दी है फिर भी उनकी विकास की स्थिति चिंतनीय है। समय के साथ-साथ प्रत्येक समाज में परिवर्तन हुये लेकिन आदिवासी समाज के महिलाओं में दिन-प्रतिदिन गिरावट हो रही है। उनमें गरीबी, अंधविश्वास, अशिक्षा, यौन उत्पीडन, ऋणी, पारिवारिक, सामाजिक बुराई, वेश्यापन की स्थिति आज भी मौजूद है। आदिवासी समाज में पुरुष और स्त्री की असमानता का असली सच्चाई यही है। आदिवासी महिलायें प्रकृति पूजक होती हैं। पुरुष व्यक्ति

खेत में हल चलाता है जिसमें महिलायें भाग नहीं ले सकती हैं बल्कि घर के सभी कार्यों में आदिवासी महिलायें महत्वपूर्ण भामिका निभाती हैं। अधिकतर आदिवासी महिलायें ट्रोलिंग का शिकार होती हैं। केन्द्र व राज्य सरकारें उनके विकास के लिये योजनायें चला रही है लेकिन अभी भी यह समाज में परिवर्तन नहीं हुआ है। पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रों में स्त्रियाँ निर्णय के अधिकार में वंचित नहीं रही हैं। पारिवारिक स्तर पर देखें तो परिवार से संबंधित सम्पत्ति क्रय करने, बच्चों की शिक्षा, मकान की मरम्मत अथवा जमीन खरीदने या बेचने संबंधी निर्णयों में स्त्री अपनी राय व्यक्त करने लगी है। जनजातीय महिलाओं में तार्किकता इस रुप में दिखाई देने लगी है कि वे स्वयं नगर के बाजार से विभिन्न वस्तुओं में से दाम और गुणवत्ता परखकर आवश्यक वस्तु क्रय करने लगी है।

गडचिरोली में जनजातियों को उनकी जातीयता, निवास, मौखिक इतिहास, पारिस्थितिकी, धर्म, अर्थव्यवस्था और अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक संस्थानों में विविधिता के रूप में जाना जाता है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार जनजातियों या आदिवासियों की आबादी 10. 45 करोड़ है जिसमें महिलाओं की आबादी लगभग 5.20 करोड़ है जबकि पुरुषों की आबादी 5.25 करोड़ है। आदिवासी आबादी का लगभग आधा हिस्सा महिलाएं हैं, फिर भी गडचिरोली में जनजातीय स्थिति के बारे में चर्चा करते समय अक्सर उनकी उपेक्षा या अनदेखी की जाती है। आदिवासी अध्ययनों में जांच का मुख्य बिंदु महिलाओं को प्राप्त करना एक हालिया घटना है। यह पूरे विश्व में महिलाओं से संबंधित मुद्दों में सामान्य रुचि के उद्भव के अनुरूप था।

किसी भी समुदाय की भलाई काफी हद तक उसकी महिलाओं की स्थिति पर निर्भर करती है। सरल शब्दों में, 'स्थिति' शब्द को अधिकारों और कर्तव्यों के संग्रह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। एक व्यक्ति को एक विशेष परिवार या समाज में लिंग, उम्र, विवाह या जन्म के आधार पर एक दर्जा दिया जाता है और भूमिकाएं वर्तमान या प्रत्याशित स्थिति के आधार पर सीखी जाती हैं । 'महिलाओं की स्थिति को संयुक्त राष्ट्र (1975) द्वारा परिभाषित किया गया है, "एक महिला एक कार्यकर्ता, छात्र, पत्नी, माँ के रूप में स्थिति के संयोजन के रूप में.... इन पदों से जुड़ी शक्ति और प्रतिष्ठा और अधिकारों और कर्तव्यों का उससे व्यायाम करने की अपेक्षा की जाती है" । यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि "पुरुषों की तुलना में महिलाओं की किस हद तक ज्ञान, आर्थिक संसाधनों और राजनीतिक शक्ति तक पहुंच है और किस हद तक ये संसाधन जीवन चक्र में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निर्णय लेने और विकल्पों की प्रक्रिया की अनुमति देते हैं।

एक आम धारणा है कि बड़े भारतीय समाज में आदिवासी महिलाओं को उनके समकक्षों की तुलना में बेहतर स्थिति का आनंद मिलता है। आम धारणा यह है कि आदिवासी महिलाओं को उच्च दर्जा प्राप्त है।

ये अध्ययन आदिवासी समाजों में लैंगिक असमानता के अस्तित्व की ओर इशारा करते हैं क्योंकि पितृसत्तात्मक मूल्यों के तहत महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है और उन्हें अधीन किया जाता है। आदिवासी समुदायों में कई वर्जनाएँ मौजूद हैं जो महिलाओं की निम्न और अशुद्ध स्थिति को दर्शाती हैं। आदिवासी महिलाओं को संपत्ति के अधिकार का आनंद नहीं मिलता है।

गडचिरोली में आदिवासी समुदायों पर ध्यान केंद्रित करने वाले कई अध्ययन हैं लेकिन जब हम विशेष रूप से आदिवासी महिलाओं की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करने वाले अध्ययनों को देखते हैं तो एक अंतर मौजूद है। एक विशेष जनजाति से संबंधित महिलाओं की समस्याओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए क्षेत्र-विशिष्ट सूक्ष्म जनजातीय अध्ययन आयोजित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। आदिवासी महिलाओं के लिए विशिष्ट विकास योजनाओं को ठीक से तैयार करने और लागू करने के लिए इसकी आवश्यकता है। महिलाओं की स्थिति जनजाति से जनजाति में भिन्न

होती है लेकिन उपरोक्त चर्चा से यह समझा जा सकता है कि वे उच्च स्थिति का आनंद नहीं लेती हैं जैसा कि कई बाहरी लोगों का मानना है। आदिवासी महिलाओं की स्थिति को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और पोषण जैसे विभिन्न संकेतकों के माध्यम से वर्णन किया। हम इनके बारे में इस इकाई के निम्नलिखित भागों में पढ़ेंगे।

स्वास्थ्य और पोषण

स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है। यह न केवल चिकित्सा देखभाल बल्कि समग्र एकीकृत सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास का कार्य है। अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा समाज साथ-साथ चलते हैं। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य (MCH) देखभाल जनजातीय महिलाओं के स्वास्थ्य चाहने वाले व्यवहार का एक महत्वपूर्ण आयाम है। हालांकि जनजातीय क्षेत्रों में MCH सेवाएं लगभग न के बराबर हैं। गडचिरोली में आदिवासी समुदायों में बाल मृत्यु दर भी तुलनात्मक रूप से अधिक है। कई कारण जैसे "जल्दी शादी, भोजन की कम कैलोरी के साथ लगातार गर्भधारण और चिकित्सा सुविधाओं की दुर्गमता" के परिणामस्वरूप उच्च मातृ और बाल मृत्यु दर होती है । कम उम्र में शादी, लगातार गर्भधारण और लगातार स्तनपान कराने से आदिवासी महिलाओं में 'मातृ कमी' होती है, जिसकी परिणति रक्ताल्पता, कुपोषण और अन्य संबंधित स्वास्थ्य स्थितियों में बीमारी होती है।

जनजातीय महिलाओं के लिए प्रसव पूर्व, प्रसवपूर्व और प्रसवोत्तर स्वास्थ्य देखभाल के लिए सरकारी औपचारिक संस्थानों तक पहुंच बहुत सीमित है। आदिवासी महिलाओं में संस्थागत प्रसव की दर भी सबसे कम है, जिसमें 27% आदिवासी महिलाएं घर पर प्रसव को प्राथमिकता देती हैं। यह "स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों के अमित्र व्यवहार, भाषा अंतर और आधुनिक चिकित्सा प्रणाली में विश्वास की कमी" जैसे कारकों के कारण हो सकता है । अध्ययन "अशिष्ट" जन्म प्रथाओं के प्रसार के कारण आदिवासियों (जैसे खारिया, गोंड, संथाल और काँध) में उच्च मातृ मृत्यु दर का संकेत देते हैं

आदिवासी महिलाएं और बच्चे कुपोषण और अल्प पोषण के मामले में भारतीय आबादी के कमजोर वर्ग हैं। आदिवासियों में स्वास्थ्य, सफाई और स्वच्छता और पोषण ज्ञान के बारे में जागरूकता की कमी है। पोषण संबंधी रक्ताल्पता आदिवासी महिलाओं में प्रचलित एक गंभीर समस्या है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 के आंकड़ों से पता चलता है कि 46.9% अन्य महिलाओं की तुलना में 65% आदिवासी महिलाएं (15-49 वर्ष आयु वर्ग में) एनीमिया से पीड़ित हैं। चूंकि एक महिला परिवार के सभी सदस्यों को भोजन बनाने और परोसने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए उसे पोषण संबंधी ज्ञान प्रदान करने पर ध्यान देना आवश्यक है । यह आदिवासियों की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अच्छी तरह से अनुकूल और स्थानीय भोजन की आदतों और खाद्य संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार होना चाहिए।

शिक्षा

शिक्षा और साक्षरता का स्तर समाज के विकास के महत्वपूर्ण संकेतक हैं। किसी के वर्ग, जाति, लिंग, जातीयता या धार्मिक पहचान के बावजूद आज की दुनिया में शिक्षा महत्वपूर्ण है। शिक्षा पुरुषों और महिलाओं के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। यह समाज में महिलाओं के समग्र विकास को सुनिश्चित करने का एक उपकरण है। हालाँकि औपचारिक शिक्षा तक पहुँच आदिवासी महिलाओं के सामने आने वाली प्रमुख समस्याओं में से एक है। 1950 के दशक से पहले स्थिति इतनी विकट थी क्योंकि आदिवासी शिक्षा को लक्षित करने वाले कोई प्रत्यक्ष सरकारी कार्यक्रम नहीं थे । लेकिन संविधान को अपनाने के साथ, केंद्र और राज्य सरकारों ने आदिवासी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष ध्यान दिया।

बंधुआ मठ की समस्याः

आदिवासी समाज की महिलाओं को अधिकतर बंधुआ मजदूर की श्रेणी में रखे जाते हैं। यह पद्धति साहूकार और गराब लोगों के बीच होता है। इस प्रक्रिया में साहूकार पहले ऋण देता है और फिर बाद में उसे गुलाम बनाकर अपनी स्वेच्छा के अनुसार कार्य कराता है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी आदिवासी व्यक्तियों में होता है। खासकर जो परिवार अधिक गरीब होते हैं। उनकी स्थिति ऐसा ही होता है। बन्धुआ मजदूरी दर में साहूकार अपने मनमाना ढंग से मजदूरी भी देते हैं। उनको पैरा इतना दिया जाता है जिसे खाकर वह मजदूर जीसके और हमारा काम लाइफ टाइम तक करता रहे। छत्तीसगढ़, झारखण्ड, बिहार में ऐसे बन्धुआ मजदूर देखे जाते हैं।

ऋणग्रस्तताः

ऋण ग्रस्तता का आशय है ऋण से ग्रस्त व्यक्ति के लिये ऋण चुकाने की बाध्यता का होना। ग्रामीण गडचिरोली में निर्धन आदिवासी किसानों एवं मजदूरों द्वारा अपनी आवश्यकताओं के कारण लिया जाने वाला कर्ज जब बढ़ जाता है तब वे अपनी कर्ज चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं। यह समस्या कमजोर वित्तीय संरचना का सूचक है। किसानों भूमिहीन एवं कृषक मजदूरों तक पहुँचने में दुर्बल है। महाजन और सूदखोरों का शिकार अधिकतर आदिवासी समाज के व्यक्तियों पर पड़ता है। यह स्थिति उस समय पड़ता है जब आदिवासी परिवार बीमारी में जूझता है। लड़के-लड़की का विवाह करने के लिये सूदखोरों से पैसे कर्ज के रुप में ले लेते हैं। इसकी भरपाई करने के लिये सूदखोर गरीब व्यक्तियों को प्रताडित करता है, उसे कम दर पर मजदूरी कराना, किसानी काम कराना और उससे काम कराने के बाद केवल जीवन जीने के लिये उसे दे देना बाकी सूदखोर के द्वारा रख लेना। इस व्यवस्था में आदिवासी व्यक्ति अपने परिवार को कर्ज चुकाने के लिये महिलाओं बच्चों को भेजता है। इस तरह आदिवासी महिलायें इसका शिकार होती हैं।

विधवा प्रवृत्तिः

जब कोई महिला के पति की आकस्मिक मृत्यु हो जाता है तब वह विधवा हो जाती है। इस विधवा महिला को आदिवासी समाज में अवहेलना किया जाता है। समाज में उसे दूर रहने के लिये कहा जाता है। सभी जनजाति में यह सिस्टम लागू नहीं है। कुछ में तो विधवा महिला भी दूसरा पति के साथ जीवन जी सकती है।

आर्थिक असमानतायेंः

गडचिरोली के लोगों में आर्थिक असमानतायें पाई जाती है। गरीबी, निर्धनता, आर्थिक रुप से कमजोर धन सम्पत्ति से आदि यह सब भारतीय जनजातीय लोगों में पाई जाती है। इन सभी स्थितियों को दूर करने के लिये जनजाति लोग कृषि कार्य, खनन कार्य में मजदूरी, अपने घर से बाहर काम करने के लिये प्रवास भी होते हैं। परिवार का भरण-पोषण आजीविका चलाने के लिये पुरुष एवं महिलायें मेहनती होते हैं। वे चाहते हैं कि उच्च क्वालिटी का जीवन स्तर हो, जच्चा-बच्चा सही ढंग से पढ़ाई-लिखाई कर सके, नौकरी कर सके। इस उद्देश्य से आदिवासी परिवार परिश्रमी, मेहतनती होते हैं।

वेश्यावृत्ति यौन रोगों का पनपना

आदिवासी महिलाओं की यह समस्या गंभीर है। एक तो वे लोग पर्याप्त मात्रा में जागरुक नहीं होते, शिक्षा की कमी की वजह से उन्हें यौन उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। एच.आई.वी. एड्स जैसी बीमारियों के बारे में सभी महिलाओं

को पता भी नहीं होता है। कभी-कभी ये महिलायें वेश्यावृत्ति का शिकार हो जाती हैं। जैसे कोई व्यक्ति कुछ पैसे का लालच देकर उसे किसी बड़े शहरों में ले जाकर बेच भी देते हैं। इस समस्या से निपटने के लिये जनजाति महिलाओं को जागरुक होने की आवश्यकता है।

अस्पृश्यता या छुआछूतः

आदिवासी समाज में रुढ़िवादी परंपरा आज भी जिंदा है। इस समाज के लोगों के द्वारा छुआछूत भी किया जाता है। जब किसी महिला को मासिक धर्म आता है तब परिवार के लोगों के द्वारा खान-पान में परहेज भी किया जाता है। कोई महिला को जब बच्चा पैदा होता है तब उसे अलग-अलग कोठरी में रखा जाता है। खासकर मैने बैगा जनजाति के लोगों को ऐसा करते हुये देखा है। इस समस्या का समाधान जागरुक समाज निर्माण करके किया जा सकता है। प्रत्येक समाज में शिक्षा, तकनीक, आयुर्वेदिक, दवाईयाँ और परिवार नियोजन संबंधी जानकारी देकर एवं प्रचार-प्रसार करके आदिवासी महिलाओं में उच्च स्थिति में लाया जा सकता है।

उद्देश्य

1. गडचिरोली में आदिवासी समाज की महिलाओं की स्थिति पर अध्ययन।
2. स्वास्थ्य और पोषण तथा शिक्षा में महिलाओं के सामने आने वाली प्रमुख समस्याओं पर अध्ययन।

महिलाओं के दैनिक जीवन की समस्याएं और उनके समाधान की संभावनाएं:

महाराष्ट्र के पूर्वी भाग में स्थित गढ़चिरौली के आदिवासी क्षेत्र गडचिरोली के सबसे दूरस्थ और अविकसित क्षेत्रों में से एक हैं। प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध लेकिन भौगोलिक दृष्टि से अलग-थलग गढ़चिरौली में मुख्य रूप से आदिवासी आबादी है जो अनूठी चुनौतियों का सामना करती है, खासकर महिलाओं को। ये चुनौतियाँ केवल बुनियादी सुविधाओं तक पहुँच के बारे में नहीं हैं, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं में गहराई से निहित हैं। इस अध्ययन में, हम उन समस्याओं का पता लगाएँगे जिनका सामना इन दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में महिलाएँ अपने दैनिक जीवन में करती हैं और उनके समग्र कल्याण और सशक्तिकरण को बेहतर बनाने के संभावित समाधानों पर चर्चा करती हैं।

गढ़चिरौली के आदिवासी क्षेत्रों में महिलाओं के सामने आने वाली प्राथमिक चुनौतियों में से एक शिक्षा तक सीमित पहुँच है। हालाँकि सरकार ने साक्षरता दर बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम लागू किए हैं, लेकिन बुनियादी ढाँचा अभी भी खराब है और इन दूरस्थ क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच बेहद सीमित है। सामाजिक मानदंडों, कम उम्र में विवाह और आर्थिक दबावों के कारण लड़कियाँ अक्सर सबसे पहले स्कूल छोड़ देती हैं।

गढ़चिरौली जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में, शैक्षणिक संस्थानों और योग्य शिक्षकों की कमी स्थिति को और खराब कर देती है। महाराष्ट्र सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार, गढ़चिरौली में साक्षरता दर राज्य औसत से कम है, जिसमें महिला साक्षरता दर विशेष रूप से कम है। इसके अलावा, सांस्कृतिक अपेक्षाएँ लड़कियों पर कम उम्र से ही घरेलू ज़िम्मेदारियाँ उठाने का एक महत्वपूर्ण बोझ डालती हैं, जिससे उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत कम समय या प्रेरणा मिलती है। समाधान: शिक्षा के मुद्दे को संबोधित करने के लिए, एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सबसे पहले, दूरदराज के स्थानों में अधिक स्कूलों के निर्माण के साथ-साथ महिला शिक्षकों की भर्ती और प्रशिक्षण से महिलाओं की अधिक भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। लड़कियों की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति और प्रोत्साहन, लड़कियों को शिक्षित

करने के महत्व को लक्षित करने वाले जागरूकता अभियानों के साथ, सामाजिक मानसिकता को बदलने में मदद कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की शुरूआत आदिवासी क्षेत्रों में लड़कियों को व्यावहारिक कौशल हासिल करने में मदद कर सकती है, भले ही औपचारिक शिक्षा तत्काल विकल्प न हो।

स्वास्थ्य सेवा की दुर्गमता

गढ़चिरौली के आदिवासी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच सबसे महत्वपूर्ण समस्याओं में से एक है। बुनियादी ढांचे की कमी के कारण, स्वास्थ्य सुविधाएँ अक्सर उनके गाँवों से दूर होती हैं, जिससे महिलाओं को समय पर चिकित्सा देखभाल प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है, खासकर गर्भावस्था और प्रसव के दौरान। कई महिलाएँ घर पर ही अस्वच्छ परिस्थितियों में बच्चे को जन्म देती हैं, जिससे मातृ और शिशु मृत्यु दर का जोखिम बढ़ जाता है। भौगोलिक चुनौतियों और अपर्याप्त कर्मचारियों के कारण मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयों और टीकाकरण अभियानों जैसी स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के सरकार के प्रयासों को सीमित सफलता मिली है।

इसके अलावा, आदिवासी समुदायों में मातृ स्वास्थ्य, मासिक धर्म स्वच्छता और मानसिक स्वास्थ्य सहायता सहित महिलाओं की विशिष्ट स्वास्थ्य आवश्यकताओं को अक्सर अनदेखा किया जाता है या अपर्याप्त रूप से संबोधित किया जाता है। इन विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रशिक्षित चिकित्सा पेशेवरों की भी कमी है, जो समस्या को और बढ़ा देता है।

इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच में सुधार के लिए दूरदराज के गाँवों के करीब अधिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की आवश्यकता है। मातृ, शिशु और सामान्य स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाली मोबाइल चिकित्सा इकाइयों का विस्तार किया जाना चाहिए, और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को महिलाओं की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, खासकर गर्भावस्था और प्रसव के दौरान। इसके अतिरिक्त, महिला स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम, विशेष रूप से प्रजनन स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण के बारे में, महिलाओं को अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेने के लिए सशक्त बना सकते हैं। सरकार और गैर सरकारी संगठन स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण और परिवार नियोजन के महत्व के बारे में जागरूकता अभियान चलाने के लिए सहयोग कर सकते हैं।

आर्थिक निर्भरता और बेरोजगारी

गढ़चिरौली के आदिवासी इलाकों में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी न्यूनतम है। जहां पुरुष खेती, खनन और जंगलों में काम करने जैसी गतिविधियों में लगे रहते हैं, वहीं महिलाएं मुख्य रूप से घरेलू श्रम और निर्वाह खेती में लगी रहती हैं। महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों और आय-उत्पादक गतिविधियों की कमी उन्हें आर्थिक रूप से अपने पुरुष समकक्षों पर निर्भर बनाती है, जो लैंगिक असमानता को बनाए रखती है। इन क्षेत्रों की कई महिलाएँ सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों से भी अनजान हैं जो उन्हें आर्थिक रूप से मदद कर सकती हैं।

इसके अतिरिक्त, पारंपरिक आर्थिक प्रणालियाँ महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों के बारे में निर्णय लेने में शामिल होने के लिए संसाधन या स्वायत्तता प्रदान नहीं करती हैं। यह आर्थिक निर्भरता महिलाओं को और अधिक हाशिए पर डालती है और उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अपने परिवार की आय में योगदान करने की क्षमता को सीमित करती है।

समाधान: आर्थिक निर्भरता को संबोधित करने के लिए, ऐसे कार्यक्रम बनाना आवश्यक है जो महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाते हों। माइक्रोफाइनेंस कार्यक्रम और स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) ने महिलाओं को छोटे व्यवसाय शुरू करने और उनकी वित्तीय साक्षरता में सुधार करने में सक्षम बनाने में वादा दिखाया है। हस्तशिल्प, कृषि और सिलाई जैसे क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करके, महिलाएँ नए कौशल हासिल कर सकती हैं जो उन्हें अपने घर की आय में योगदान करने में मदद करेंगे। इसके अलावा, स्थानीय शासन संरचनाएँ और गैर सरकारी संगठन महिलाओं को आर्थिक रूप से ऊपर उठाने के लिए डिज़ाइन की गई सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने में मदद कर सकते हैं, जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा और पुरुषों पर निर्भरता कम होगी।

सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएँ

गढ़चिरौली के आदिवासी समुदायों में, महिलाओं को महत्वपूर्ण सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है जो उनके सशक्तिकरण में बाधा डालती हैं। इन समुदायों में पितृसत्तात्मक मानदंड हावी हैं, जहाँ महिलाओं को अक्सर परिवार और समाज में अधीनस्थ भूमिकाओं में रखा जाता है। इन क्षेत्रों में कम उम्र में शादी एक आम प्रथा है, जो महिलाओं की स्वतंत्रता, शिक्षा और समग्र विकास को प्रतिबंधित करती है। महिलाएँ लिंग आधारित हिंसा का भी शिकार होती हैं, जिसमें घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और दहेज की माँग शामिल है, लेकिन सामाजिक बहिष्कार या समर्थन की कमी के डर से इन मुद्दों की अक्सर कम रिपोर्टिंग की जाती है। इसके अलावा, महिलाओं को अक्सर अपने समुदायों में नेतृत्व की स्थिति से बाहर रखा जाता है। परिवार या गाँव के स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उनकी भागीदारी सीमित होती है। सांस्कृतिक परंपराएँ और पुरुष नेताओं का वर्चस्व महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मामलों में खुद को मुखर करने से रोकता है। समाधान: इन सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाओं से निपटने का एक तरीका सामुदायिक जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से है जिसका उद्देश्य महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण बदलना है। ग्राम परिषदों (पंचायतों) के भीतर नेतृत्व की भूमिकाओं में महिलाओं को शामिल करके और लिंग-संवेदनशील नीतियों को बढ़ावा देकर महिलाओं को सशक्त बनाना पितृसत्तात्मक प्रथाओं को कम करने में मदद कर सकता है। महिलाओं के अधिकारों, घरेलू हिंसा के खिलाफ कानूनी सुरक्षा और लैंगिक समानता के महत्व के बारे में जागरूकता अभियान स्थानीय भाषाओं में लागू किए जाने चाहिए ताकि बेहतर समझ सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा, इन पहलों में आदिवासी बुजुर्गों और नेताओं की भागीदारी यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकती है कि महिलाओं की आवाज़ सुनी जाए और उनका सम्मान किया जाए।

हिंसा और सुरक्षा के मुद्दे

गढ़चिरौली के आदिवासी इलाकों में महिलाएं अक्सर अपने घरों और बड़े समुदाय दोनों में हिंसा की चपेट में आती हैं। इन दूरदराज के इलाकों में चरमपंथी समूहों की मौजूदगी, सामाजिक अशांति और कानून प्रवर्तन की कमी ऐसे माहौल में योगदान करती है, जहां महिलाएं जोखिम में रहती हैं। घरेलू हिंसा के मामलों में, सामाजिक कलंक और कानूनी सहारा न होने से कई महिलाएं मदद लेने से बचती हैं। पुलिस की मौजूदगी की अनुपस्थिति महिलाओं के लिए अपराध या दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करना मुश्किल बना देती है।

समाधान:

महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून प्रवर्तन और कानूनी सहायता प्रणालियों में सुधार करना महत्वपूर्ण है। दूरदराज के इलाकों में पुलिस की मौजूदगी को मजबूत करना, घरेलू हिंसा के पीड़ितों के लिए सहायता केंद्र

स्थापित करना और यह सुनिश्चित करना कि महिलाओं को कानूनी सहायता तक पहुंच हो, हिंसा के जोखिम को काफी हद तक कम कर सकता है। इसके अतिरिक्त, महिलाओं के आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम और महिलाओं के अधिकारों और कानूनी सुरक्षा के बारे में जन जागरूकता अभियान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

गढ़चिरौली के आदिवासी इलाकों में महिलाओं को अपने दैनिक जीवन में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक सीमित पहुंच से लेकर आर्थिक निर्भरता, सामाजिक बाधाओं और हिंसा तक कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि, सरकार, गैर सरकारी संगठनों और स्थानीय समुदायों के सम्मिलित प्रयासों से इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। बुनियादी ढांचे में सुधार करके, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर, लैंगिक समानता के बारे में समुदायों को शिक्षित करके और कानूनी सुरक्षा बढ़ाकर, इन दूरदराज के आदिवासी क्षेत्रों में महिलाओं के दैनिक जीवन में काफी सुधार किया जा सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि स्थायी और सार्थक परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए गढ़चिरौली में आदिवासी समुदायों की विशिष्ट आवश्यकताओं और सांस्कृतिक संदर्भों के अनुरूप नीतियां और हस्तक्षेप तैयार किए जाएं।

निष्कर्ष

वर्तमान सरकार विकासशील है। जिस तरह सरकार रेल, रोड़, पंचायत कार्य, बिजली, पानी, प्रदूषण बचाओं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का योजना चलाकर विकास कर रही है। उसी प्रकार महिला पढ़ना-लिखना योजना जो चलाया गया था उसे वर्तमान में शुरु करना चाहिये। सावित्री बाई फुले ने सबसे पहले स्त्रियों को पढ़ने-बढ़ने व अपने अधिकार के प्रति लड़ने के लिये शिक्षा का प्रारंभ किया था। उन्हीं के मार्गदर्शन से ही गडचिरोली में सभी स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्राप्त हुआ। वह भी अपने हक, अधिकार के लिये इन सामाजिक कुरीतियों से जो जूझ रहा है, उसे प्राप्त करने का अधिकार है। इसमें लोगों को जागरुक करना बहुत जरुरी है। शिक्षा का व्यापक प्रचार-प्रसार करना, सबसे महत्वपूर्ण होती है। आदिवासी पृथ्वी, जल, जंगल के रखवाले होते हैं। प्रकृति पूजक होते हुये उन्हें प्रत्येक कामों नौकरी, समाज में प्रगतिशील होना चाहिये। भारतीय समाज अपनी परम्परा के अन्तर्गत विकास की डगर पर गतिशील / शक्तिशाली बना रहे। अंधविश्वास जैसे कुरीतियों को हटाने का व्यापक प्रयास करना चाहिये।

संदर्भ

[1] के.एम. जियाउद्दीन और ईश्वरप्पा कासी, सामाजिक बहिष्कार के आयाम: नृवंशविज्ञान अन्वेषण, कैम्ब्रिज स्कॉलर्स पब्लिशिंग 2009

[2] डे हान, ए. (1999). सामाजिक बहिष्कार: अभाव की समग्र समझ की ओर।

[3] मिशेल, ए., शिलिंग्टन, आर. (2002). गरीबी, असमानता और सामाजिक समावेशन, सामाजिक समावेशन पर परिप्रेक्ष्य कार्य पत्र श्रृंखला, कनाडा: द लेडलॉ फाउंडेशन।

[4] राम आहूजाः भारतीय समाज, रावत पब्लिकेशन्स नई दिल्ली, 2002

[5] उदय सिंह राजपूतः जनाब विकास गैरसरकारी संगठन, रावत प्रकाशन, प्रा. 1

[6] प्रो. गुप्ता, शर्माः सामाजिक मानवशास्त्र, साहित्य भवन प्रकाशन, पृ. 190, 192

[7] बसु, एस. (1990). आदिवासी स्वास्थ्य के प्रति मानवशास्त्रीय दृष्टिकोण। ए., बोस, नोंगबरी, - एन. कुमार (सं.) में। उत्तर-पूर्व भारत में आदिवासी जनसांख्यिकी और विकास। दिल्ली: हिंदुस्तान पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन।

[8] बसु, एस.के. (1993). भारत में आदिवासी महिलाओं की स्वास्थ्य स्थिति. सामाजिक परिवर्तन, 23(4), 19-39.

[9] भसीन, वी. (2007). भारत में आदिवासी महिलाओं की स्थिति. गृह और सामुदायिक विज्ञान पर अध्ययन, 1(1), 1-7.

[10] भारत की जनगणना (2011)। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के आंकड़े। भारत के महापंजीयक, गृह मंत्रालय, भारत सरकार।

[11] छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर अंतर्राष्ट्रीय जर्नल रिसर्च, 8(9), 334-344

[12] फ्यूरर-हैमेंडोर्फ, वॉन। सी. (1943)।

[13] स्विफ्ट, जेरेमी (1989). ग्रामीण लोग अकाल के प्रति संवेदनशील क्यों हैं?, आई.डी.एस. बुलेटिन खंड 20, संख्या 2.

[14] भट्ट, एस. (2004). विकास प्रतिमान में 4Ws घटक: 21वीं सदी में सामाजिक कार्य शिक्षा पर पुनर्विचार

[15] हुल्म, डी., मूर, के., और शेफर्ड, ए. (2001)। क्रॉनिक पॉवर्टी: अर्थ और विश्लेषणात्मक रूपरेखा। सीपीसीआर वर्किंग पेपर नंबर 2. मैनचेस्टर और बर्मिंघम, क्रॉनिक पॉवर्टी रिसर्च सेंटर।

[16] के.एम. जियाउद्दीन और ईश्वरप्पा कासी, सामाजिक बहिष्कार के आयाम: नृवंशविज्ञान संबंधी अन्वेषण, कैम्ब्रिज स्कॉलर्स पब्लिशिंग 2009